167
10-30

संख्या–327 /VI/2017–71(4)2017

प्रेषक,

आर0 मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, धर्मस्व, तीर्थाटन प्रबन्धन एवं धार्मिक मेला अनुभाग देहरादूनः दिनांक 4 अगस्त, 2017

विषयः– दिनांक 06 अगस्त, 2017 से 10 अगस्त, 2017 तक "ऊँ नमो नाँद" कार्यशाला–2017 आयोजन में भाग लेने वाले ढ़ोल वाद्यकों के मानदेय, मार्गव्यय आदि हेतु 42–अन्य व्यय मानक मद से ₹ 15.00 लाख की अग्रिम धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1128 पाँच–36(ii)/SCSP/सं0नि0उ0/2017–18 दिनांक 01 अगस्त, 2017 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या–142/VI/2017–71(4)2017 दिनांक 18 अप्रैल, 2017 एवं संख्या–282/VI/2017–71(4)2017 दिनांक 05 जुलाई, 2017 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में संस्कृति विभाग के अन्तर्गत 42–अन्य व्यय मानक मद में क्रमशः ₹133.33 लाख+₹266.67 लाख कुल ₹400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) प्राविधानित धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी है। अनुदान संख्या–11 के 42–अन्य व्यय मानक मद में कुल प्राविधानित धनराशि ₹400.00 लाख (₹ चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष ₹15,00,000/–(₹ पन्द्रह लाख मात्र) की अग्रिम धनराशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुये निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त स्वीकृति निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी हैं:–

(i) उक्त स्वीकृत धनराशि के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–312/3(150)/XXVII(1)/2017 दिनांक 31.03.2017 एवं सं0–610/3(150)/ XXVII(1)/2017 दिनांक 30.06.2017 में निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) मितव्ययी मदों में व्यय आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

क्रमशः–2

(iii) व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– उक्त धनराशि का भुगतान वास्तविक व्यय एवं संगत वित्तीय मानकों के प्राविधानानुसार ही किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–11 के लेखाशीर्षक–2205–कला एवं संस्कृति–00–001–निदेशन तथा प्रशासन–03–सांस्कृतिक कार्य निदेशालय–00–42–अन्य व्यय मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव

पृष्ठांकन संख्या 327 /VI/2017–71(4)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रधान महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड देहरादून।
2– वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
4– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
5– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(दीपक कुमार)
अनुसचिव।